



राज्य अभिलेखागार उत्तराखण्ड

अल्प कालीन निविदा

राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड देहरादून कार्यालय के उपयोगार्थ निम्नलिखित सामग्री क्य एवं अभिलेखों की माईक्रोफिल्मिंग का कार्य कराया जाना है। प्रत्येक मद की पृथक—पृथक निविदाये विज्ञापन की तिथि से दिनांक 16-3-2015 के प्रातः 11.00 बजे आमंत्रित की जाती है। जो कि दिनांक 16-3-2015 को गठित क्य समिति एवं उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष 12.00बजे खोली जायेगी पंजीकृत निविदाता दिनांक 13-3-2015तक किसी भी कार्य दिवस में ₹ 220.00नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदाताये राज्य अभिलेखागार, भोपालपानी –थानो रोड देहरादून से क्य की जा सकती है। निविदाता साथ में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0/जो कि निदेशक, राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड देहरादून के नाम पर बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि के प्रश्चात किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

ब्रं०	क्य सामग्री का विवरण
1.	माईक्रोफिल्म रीडर साईज A-3
2.	अभिलेखों की माईक्रोफिल्मिंग
3.	अभिलेख रखने हेतु बाक्स
4.	रसायन थॉयमाल, पैराडाई क्लोरोब्रजीन, नैथलीन बिक्स, सिल्का जैल किस्टल, एसीटोन, सी0एस0सी0 सोडियम

निदेशक, राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड देहरादून।

राज्य अभिलेखागार उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय के उपयोगार्थ चालू वर्ष 2014-15 में क्य किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

1-निविदा सूचना सं०	मूल्य-	200=00
2-निविदा प्राप्त करने की तिथि-	व्यापार कर-	20=00
3-निविदा जमा करने की तिथि--		
4-निविदा खोलने जाने की तिथि		
5-निविदा प्रेषण स्थान -	कुल मूल्य-	220=00
6-निविदादाता फर्म/ का नाम व पता		

७—फर्म के पंजीकरण प्रमाण—पत्र की स्व: प्रमाणित छायाप्रति.....
 ८—धरोहर धनराशि—
 ९—सामग्री विवरणः—

क्रमांक	सामग्री विवरण	प्रति अद्द टैक्स सहित
१.		

नियम एवं शर्ते

- 1—दरे वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मान्य होगी।

2—निविदा दरों के साथ समस्त टैक्स अंकित करें।

3—सामग्री कार्यालय तक पहुँचाने का दायित्व फर्म का होगा।

4—निविदा के साथ ₹ /—मात्र की एफ0डी0आर/ एन0एस0सी0/ सी0डी0आर0 जो कि निदेशक, राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बन्धक हो, संलग्न करना होगा।

5—फर्म का टिन नं0 या पेन नं0 छायाप्रति संलग्न करें।

6—सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।

7—सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में जमा बन्धक धनराशि जब्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

8—निदेशक, राज्य अभिलेखागार, को समस्त निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।

9—विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

नोट— हमने विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। विभाग द्वारा मांगी गई सूचनायें हमारी फर्म द्वारा सही सही दी गई है यदि कोई जानकारी असत्य पायी गई तो फर्म इसके लिये स्वयं उत्तराधीय रहेगी।

(डॉ लालता प्रसाद)

निविदादाता के हस्ताक्षर.....